निदेशालय

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड

राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई

(उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति)

निकट नन्दा की चौकी, सुद्धौवाला, प्रेमनगर, देहरादून

उत्तराखण्ड सरकार

पत्रांकः 167/181/UWCDS/2026-27 **दिनांकः 02 जून 2026**

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड महिला समेकित विकास योजना

महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार की एक महत्वकांक्षी पहल

उत्तराखण्ड राज्य में महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयोगशाला के रूप में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण हेतु उत्तराखण्ड महिला समेकित विकास योजना की अवधारणा की गयी, जिसमें महिलाओं की शक्ति का सदुपयोग करते हुए महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु लाभकारी परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। विशेषकर महिलाओं के कार्यबोझ में कमी लाते हुए उनके स्वास्थ्य में सुधार एवं लाभप्रद स्वरोजगार प्रदान करने सम्बन्धी लक्ष्यों को दृष्टिगत् रखते हुए महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तता प्रदान करने की दृष्टि से लाभकारी, उपयुक्त एवं अभिनव परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

अर्हताः–

1. सरकारी संस्थान/एजेन्सी, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान एवं प्रतिष्ठित गैर सरकारी स्वयं सेवी संस्थाएँ जो महिला विकास क्षेत्र में न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव रखती हों, द्वारा अपने प्रस्ताव प्राप्त कराये जा सकते हैं।
2. गैर सरकारी संस्थान/स्वयं सेवी संस्थाएँ/प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान राज्य में ही कम से कम 05 वर्ष पूर्व सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट/कम्पनी एक्ट/भारतीय ट्रस्ट एक्ट में पंजीकृत होनी अनिवार्य है तथा संस्था का विगत् 03 वर्ष (वि0व0 2022–23, 2023–24, 2024–25) की पूर्ण ऑडिटेड बैलेंस शीट सी0ए0 द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
3. पहाडी जनपदों में रजिस्टर्ड/कार्यरत संस्था/एजेन्सी की विगत 03 वर्ष (वि0व0 2022–23, 2023–24, 2024–25) का औसतन आय–व्यय न्यूनतम रू0 15.00 लाख का एवं मैदानी जनपदों में रजिस्टर्ड/कार्यरत संस्था/एजेन्सी का विगत 03 वर्ष का औसत आय–व्यय न्यूनतम रू0 25.00 लाख होना अनिवार्य है।
4. संस्था/एजेन्सी किसी भी सरकारी विभाग/संस्थान से काली सूची में दर्ज न हों। इस आशय का रू0 10.00 मात्र के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड़ शपथ पत्र देना होगा।
5. उक्त के अतिरिक्त महिला स्वयं सहायता समूह, जिनके गठन को 05 वर्ष पूर्ण हो चुके हों व उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी विभाग के अंतर्गत पंजीकृत हों एवं जिनके विगत 03 वर्ष (वि0व0 2022–23, 2023–24, 2024–25) की औसत आय व्यय रू0 1.00 लाख की हो या वर्तमान की तिथि तक बचत न्यूनतम रू0 1.00 लाख हो, भी आवेदन हेतु आमंत्रित किया जाता है।

इच्छुक सरकारी संस्थान/एजेन्सी/प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान/प्रतिष्ठित गैर सरकारी स्वयं सेवी संस्थाएँ/महिला स्वयं सहायता समूह अपना पूर्ण प्रस्ताव, जिस जनपद से आवेदन कर रहे हों, उस जनपद के जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में दिनांक 23 जून 2026 सांय 5.00 बजे तक जमा कर सकते हैं। परियोजना प्रस्ताव को तैयार करने हेतु दिशा निर्देशिका व बजट शीट को विभाग की वैबसाइट www.wecd.uk.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। परियोजना प्रस्ताव पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय कमेटी की संस्तुति अनिवार्य है। योजना के अंतर्गत प्रस्ताव चयन/निरस्तीकरण से सम्बन्धित समस्त अधिकार निदेशक/उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति के पास नियत रहेंगे। किसी भी अपूर्ण प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

निदेशक/उपाध्यक्ष

उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति

परियोजना प्रस्ताव का प्रारूप

1. परियोजना शीर्षक
2. आवेदनकर्ता संस्था या संस्थान का नाम व पता
3. उत्तरदायी व्यक्ति का फोन एवं फैक्स नम्बर
4. वैधानिक पहचान/स्थिति
5. संस्था का संक्षिप्त इतिहास
6. अन्य सरकारी संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त
7. क्षमता और अनुभव
   संक्षेप में, संस्था की क्षमता, स्टाफ, आधारभूत संरचना (स्वामित्व अथवा किराये पर) एवं परियोजना संचालन हेतु प्रशासनिक/आर्थिक प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। महिला सशक्तिकरण एवं कार्यबोझ कमी एवं जनसाधारण के साथ कार्य सम्बधी अपने अनुभव एवं कार्यक्रमों का विस्तार से उल्लेख कीजिए।

8. परियोजना क्षेत्र का विवरण
   संक्षेप में प्रस्तावित परियोजना हेतु सुनिश्चित क्षेत्र तथा रेल, वायु एवं जल मार्ग से क्षेत्र तक पहुंच स्थान विवरण एवं जनसंख्या का अध्ययन, सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियां और की जाने वाली सार्वजनिक व निजी विकास की गतिविधियों का उल्लेख कीजिए ।

9. परियोजना लाभार्थी
   लाभार्थी महिलाऐं होनी चाहिए जिनमें से 80 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग से होनी चाहिए। समान उद्देश्यों/गतिविधियों वाले कार्यक्रमों/परियोजनाओं से जुडे लाभार्थी इसमें शामिल नहीं किए जाने चाहिए। विकास खण्ड में परियोजना क्षेत्र का आच्छादन प्रतिशत में पाई चित्रण के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाए।

10. प्रस्तावित परियोजना का उद्देश्य
    परियोजना के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर अपेक्षित परिणामों के सम्बन्ध में बताया जायेगा (सर्वोत्तम एवं न्यून आगणन)। यदि परिणाम अपेक्षित स्तर के नहीं होते है तो माध्यमिक लक्ष्य, जो पूर्ण हो सकेंगे उनका वर्णन किया जाएगा। परियोजना की अवधि में धनराशि जारी करने हेतु सूचकांक इंगित किये जाऐंगे। परियोजना समाप्ति की अवधि में धनराशि जारी करने हेतु सूचकांक इंगित किये जाऐंगे। परियोजना समाप्ति की अवधि का वर्णन किया जायेगा।

11. परियोजना हेतु कियाविधि/प्रक्रिया
    अपनायी जाने वाली विधि एवं प्रक्रिया का उल्लेख करें। प्रबन्ध तंत्र एवं परियोजना की अवधि का वर्णन करें। परियोजना गतिविधि क्रियान्वयन चार्ट (संलग्नक–1) बनाते हुए प्रस्ताव के साथ जमा करें।

    वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयवस्तु वाले परियोजना प्रस्ताव हेतु वाह्य वैज्ञानिक, तकनीकी एवं प्रबंधकीय विशेषज्ञता/योगदान प्राप्ति हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए।

    क्या प्रस्ताव को कोई विशिष्ट स्वीकृति की आवश्यकता है। वे क्या है? क्या वे प्राप्त की गई है ?

12. औचित्य

यह स्पष्ट करें कि प्रस्तावित गतिविधियों को ज्यादा महत्व क्यों दिया जाए? विद्यमान संस्थाओं एवं संसाधनों के अन्तर्गत किन प्रमुख अवरोधों के कारण समुदाय अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर सका है तथा परियोजना इन अवरोधों को दूर करने के लिए किस प्रकार लक्षित है, इन बिन्दुओं पर प्रकाश डाला जाएगा। यह स्पष्ट करें कि प्रस्तुत परियोजना में किस प्रकार सफलता प्राप्ति की प्रबल सम्भावना है एवं अवसर तथा जोखिम उपस्थित है। यदि सम्भव हो तो राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर पर समान विकास की पहलों का वर्णन करते हुए उनसे परियोजना की तुलना प्रस्तुत की जाये।

13. परामर्श प्रक्रिया

प्रस्ताव के निर्माण हेतु परामर्श प्रक्रिया का वर्णन करें। विशेषकर स्थानीय समुदाय का दृष्टिकोण स्पष्ट किया जाये। यदि स्थानीय पंचायतों/स्वयं सहायता समूहों/समुदाय आधारित संगठनों/गैर सरकारी संगठनों से परामर्श लिया गया है तो उसका विशिष्ट रूप से उल्लेख करें। प्रस्ताव के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सरकारी कर्मियों का उल्लेख किया जाये।

परियोजना प्रस्ताव आवश्यकीय रूप से हितभागियों (जैसे– समुदाय, पंचायतीराज संस्थाएं एवं रेखा विभाग आदि) की संयुक्त बैठक के प्राप्ति–निष्कर्षों पर आधारित होनी चाहिए।

उन परियोजना प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाऐगी जो विद्यमान स्वयं सहायता समूहों, जो किसी भी विभाग के अंतर्गत पूर्व से गठित हों, के साथ कार्य करना चाहते हैं। समूहों का "स्वाट विश्लेषण"' (मजबूती, कमजोरी, संभावनाऐं, खतरे) एवं नमूना आधारभूत सर्वेक्षण संलग्न करने की सलाह दी जाती है ताकि आवश्यकता आधारित हस्तक्षेप प्रस्तावित किए जा सके।

14. क्रियान्वयन

परियोजना के क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित संस्थात्मक संरचना का वर्णन कीजिए। विभिन्न स्तरों के स्टाफ/स्वयं सेवकों की भूमिकायें एवं दायित्व विशिष्ट रूप से स्पष्ट किये जाए। प्रशासन, लेखा, कार्यक्रम के उद्देश्य एवं अनुश्रवण हेतु अधिकार एवं नियंत्रण प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। परियोजना हेतु स्टाफ के चयन की प्रक्रिया, अपेक्षित अर्हता एवं मानदेय का वर्णन किया जाए। कृपया स्पष्ट करें कि परियोजना क्रियान्वयन हेतु स्थल कहां स्थित होंगे, साथ ही यथासम्भव स्थल पर उपलब्ध स्टाफ का डाक पता, टेलीफोन नम्बर एवं नाम बताया जाये। इस भाग में गतिविधियों के आयोजन का अनुक्रम तथा क्रियान्वयन सम्बन्धी समस्त सूचना दी जाएगी। गतिविधियों की समय सारिणी तथा सूचकांकों को दर्शाया जायेगा।

15. क्रय प्रणाली

आपूर्तिकर्ताओं के चयन हेतु आमंत्रण एवं विश्लेषण को सम्मिलित करते हुए वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय में प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन किया जाये। यह स्पष्ट करें कि क्रय प्रणाली किस प्रकार मुक्त, न्यायपूर्ण एवं प्रतियोगितात्मक होगी।

16. पुनरावृत्ति एवं निरंतरता

प्रस्तावित परियोजना प्रस्ताव में निहित उन मापकों को उजागर कीजिए जो विभिन्न सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्यक्रम में लचीलापन एवं ग्राह्यता सुनिश्चित करती हो। उन विशेष सफल लक्षणों को चिन्हित कीजिए जिनकी पुनरावृत्ति की जा सके।

परियोजना की निरंतरता हेतु प्रस्तावित कार्यवाहियों का उल्लेख करें। क्या आपकी संस्था सहायक–ऋण, समानान्तर कोष/रिवाल्विंग फंड/मितव्ययी एवं ऋण योजना तंत्र विकसित एवं प्रोत्साहित कर सकती है जिससे अधिनिकास सुविधा हेतु एक उचित योजना एवं अनुबंध बैंकों से सुनिश्चित किया जा सके जो परियोजना को उत्तराखण्ड महिला समेकित विकास योजना की वित्तीय स्वीकृति समय सीमा के पश्चात एवं अन्य विपरीत परिस्थितियों में निरंतरता प्रदान कर सके।

उन कार्यवाहियों का उल्लेख करें जिससे रेखा विभागों, अनुसंधान संस्थानों एवं विपणन एजेन्सियों से सम्बंध स्थापित किया जा सके ताकि अग्रगामी एवं पश्चगामी सम्बंध सुनिश्चित किए जा सके।

17. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

परियोजना उद्वेश्यों की प्राप्ति संबंधी उपलब्धियों को समय–समय पर मापने हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत करें। जहां संभव हो, उन विधियों का समावेश किया जाए जिनके उपयोग से लाभार्थी स्वयं अथवा स्थानीय समुदाय अथवा पंचायत द्वारा परियोजना का अनुश्रवण किया जा सके।

प्रारम्भिक एवं समापन उपरान्त आधारभूत सर्वेक्षण प्रभाव मूल्यांकन हेतु अनिवार्य है। परियोजना के प्रत्येक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रगति मापक सूचकांको तथा चिन्हों का उल्लेख किया जाये। कार्यपूर्ति मापकों की पुर्नजॉच तथा प्रमाणन किस प्रकार किया जा सकता है, इस पर आख्या दी जाये। कार्यपूर्ति ऑकड़ों का संग्रहण कैसे होगा तथा उनकी पुष्टि किस प्रकार की जायेगी, इसका वर्णन किया जाये।

परियोजना के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर अपेक्षित परिणामों के संबंध में बताया जायेगा (सर्वोत्तम एवं न्यून आगणन)। यदि परिणाम अपेक्षित स्तर के नहीं होते हैं तो माध्यमिक लक्ष्य, जो पूर्ण हो सकेंगे उनका वर्णन किया जायेगा।

18. पारदर्शिता

जनसामान्य को परियोजना संम्बधी सूचना किस प्रकार उपलब्ध होंगी तथा उक्त सूचना किस माध्यम से प्राप्त की जाएगी, इसका वर्णन किया जाए। सहयोगी संस्थाए सूचना के अधिकार अधिनियम मे निहित प्रावधानों को मानने हेतु बाध्य होगी।

18. परियोजना लागत सारांश

अधिकतम 02 वर्षों हेतु बजट मदों की सूचीं संक्षेप मे उल्लेखित करें। इस हेतु नमूना फार्मेट संलग्नक–02 मे रक्षित हैं। कृपया वार्षिक आधार पर प्रति–लाभार्थी परियोजना लागत एवं लागत–लाभ अनुपात का अवलोकन दर्शाइये ।

19. अन्य अनिवार्य बिन्दु

1. कुल धनराशी रू0 10,00,000/– (रू0 दस लाख मात्र) से ऊपर के परियोजना प्रस्तावों हेतु संस्थान/संगठन/एजेंसी के द्वारा अनुबन्ध हस्ताक्षर के समय कुल परियोजना लागत की 5% धनराशी एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 के रूप में निदेशक/उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति, देहरादून के पक्ष में जमा करानी अनिवार्य है। एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 परियोजना सम्पूर्णता अवधी तक मान्य/वैद्य रहेगी।
2. परियोजना प्रस्ताव पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय कमेटी की संस्तुति अनिवार्य है।
3. परियोजना कार्यक्षेत्र दर्शाता जिले का एक मानचित्र।
4. संस्था का पंजीकरण प्रमाणपत्र/महिला स्वयं सहायता समूह हेतु विभाग से प्रमाण पत्र।
5. संस्था का स्मृतिपत्र एवं नियमावली/महिला स्वयं सहायता समूह की नियामवली की सत्यापित प्रति।
6. विगत 03 वर्षों की बैलेन्स शीट मय सम्परीक्षक प्रमाण पत्र एवं आख्या, प्राप्ति और भुगतान खाते, आय और व्यय खाते/लाभ हानि खाते, देनदारी एवं परिसम्पत्ति खाते।
7. विगत 03 वर्षों की आई0टी0आर0।
8. विगत तीन वर्षों की वार्षिक प्रगति आख्याएं।
9. स्टॉफ की सूची मय पता एवं सम्पर्क दूरभाष नम्बर।
10. संस्था की प्रबन्धकार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों/समूह के पदाधिकारियों व सदस्यों की पूर्ण सूची मय नाम, पता, मोबाईल नम्बर एवं आधार कार्ड नम्बर। आधार कार्ड की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।
11. क्रियान्वित की गयी सभी परियोजनाओं एवं वर्तमान में क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं की सूची (परियोजनाओं का नाम, वित्त पोषक विभाग, अवधि, स्वीकृत बजट, परियोजना क्षेत्र, गतिविधियां, कुल लाभार्थी) साथ में सभी परियोजनाओं एवं विशेषतः महिला सम्बन्धी परियोजनाओं की स्वीकृति पत्र एवं बजट की छायाप्रति।
12. प्रस्ताव स्वीकृत होने के उपरान्त चयनित महिला लाभार्थियों से किसी समान योजना के अंतर्गत दोहरा लाभ प्राप्त न किये जाने का स्वधोषणा पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
13. प्रस्ताव स्वीकृत होने के उपरान्त चयनित महिला लाभार्थियों की सूची को सम्बन्धित जनपद में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय कमेटी के माध्यम से सत्यापित किया जायेगा।

पद व मोहर सहित अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

सामान्य निर्देश

1. विस्तृत परियोजना प्रस्ताव दो प्रतियों में, जो ए–4 साइज सफेद बाण्ड पेपर में डबल लाइन स्पेस में टंकित हो जमा किए जाए ।
2. भाषा सरल, स्पष्ट एवं बिन्दुवार होनी चाहिए। कृपया पुनरावृत्ति न करें।
3. कृपया सुनिश्चित करें कि आपका प्रस्ताव समस्त प्रासंगिक आंकडों, जानकारियों एवं दस्तावेजों से परिपूर्ण हो। अधूरे परियोजना दस्तावेज स्वीकार्य नही होंगे ।
4. अनुमानित लागत निर्धारण संक्षिप्त एवं सावधानीपूर्वक निकाले जाए। सामयिक/अस्थायी मूल्य निर्धारण उपलब्ध कराते हुए अधिकतम सीमा तक तथ्यात्मक रहें। कार्य के समयबद्ध पूर्णता हेतु यह संस्तुत किया जाता है कि कीमत चढाव एवं आडिट लागत संबंधी मदों को वर्षवार बजट एवं वित्तीय योजना में प्रस्तुत किया जाए।
5. विशेषज्ञ सलाह, पर्याप्त पृष्ठभूमि अनुसंधान एवं अध्ययनों पर निर्मित परियोजना प्रस्ताव परियोजना स्वीकृति समिति को शीघ्र स्पष्टता कराने में सक्षम होगा।
6. प्राप्तकर्ता संस्था उत्तराखण्ड महिला समेकित विकास योजना के अन्तर्गत, समुदाय हेतु समस्त पूर्ण या आंशिक रूप से अर्जित समस्त परिसम्पत्तियों का अभिलेखीकरण सुनिश्चित करेंगे।
7. अधिकतम दो पृष्ठों का परियोजना प्रस्ताव सारांश विस्तृत परियोजना प्रस्ताव के आरम्भ मे संलग्न होना चाहिए। सारांश में परियोजना का शीर्षक, स्थान (गांवों की संख्या, ब्लाक, जिला), परियोजना का उद्देश्य, प्राप्त किए जाने वाले साधन, अपेक्षित परिणाम, मुख्य लाभार्थी, अवधि, अपेक्षित कार्यारम्भ एवं समापन तिथि, कुल लागत, उ.म.स.वि.यो. का योगदान, स्थानीय योगदान, अन्य दाता योगदान और बजट सारांश का संक्षेप में वर्णन करें। परियोजना आवश्यकता पूर्ति में यदि किसी अन्य एन.जी.ओ. अथवा दाता संस्थाओं से साझेदारी एवं समान्तर वित्त पोषण, तकनीकी सहयोग आदि की भूमिका हो तो उसका संदर्भ दीजिए।
8. योजनान्तर्गत स्वीकृत वित्तीय मानकों के अनुरूप 2 वर्षीय समय अवधि एवं अधिकतम धनराशि रू0 30.00 लाख तक का वित्तीय परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
9. पूर्ण परियोजना प्रस्ताव मय सहायक दस्तावेज सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करायें।

बजट शीट

संलग्नक – ***02***

क्र0सं0	विवरण	यूनिट स0	यूनिट लागत (रू0)	कुल लागत (रू0)	वर्ष–1		वर्ष–2		कुल यूनिट लागत	
					उ0म0स0वि0 योजना (90%)	अंशदान (10%)	उ0म0स0वि0 योजना (90%)	अंशदान (10%)	उ0म0स0वि0 योजना (90%)	अंशदान (10%)
1.	गतिविधियाँ									
अ–										
ब–										
उप–योग **(I)**										
क्र0स0	विवरण	यूनिट स0	यूनिट लागत (रू0)	कुल लागत (रू0)	उ0म0स0वि0 योजना (70%)	अंशदान (30%)	उ0म0स0वि0 योजना (70%)	अंशदान (30%)	(अ) उ0म0स0वि0 योजना (70%)	(ब) अंशदान (30%)
2.	परिसम्पत्तियाँ									
अ–										
ब–										
उप–योग **(II)**										
3.	योग **(I+II)**									
4.	प्रशासनिक योग **(12%)**					–––		–––		–––
5.	तकनीकी सहयोग **(8%)**					–––		–––		–––
6.	कुल योग **(3+4+5)**					–––		–––		–––
7.	उ0म0स0वि0योजना सहयोग – रू0 शब्दों में– रू0									
8.	अंशदान – रू0 शब्दों में– रू0									
9.	कुल परियोजना लागत (**7+8**)– रू0 शब्दों में– रू0									

नोटः– बी0पी0एल0/एस0सी0/एस0टी0 महिलाओं हेतु परिसम्पत्ति घटक के अंतर्गत सामुदायिक अंशदान 30% के स्थान पर 10% एवं उ0म0स0वि0 योजना का सहयोग 90% होगा। सभी महिलाओं के सम्बन्धित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने होंगे।

<u>संलग्नक</u> **- 01**

परियोजना गतिविधि क्रियान्वयन चार्ट

परियोजना शीर्षक **: ---**

(माहवार**)**

क0	गतिविधि		वर्ष–1,												वर्ष–2,												टिप्पणीं
स0			अ	म	जू	जु	अ	सि	अ	न	दि	ज	फ	मा	अ	म	जू	जु	अ	सि	अ	न	दि	ज	फ	मा	
1-		प्र0																									
		वा0																									
2-		प्र0																									
		वा0																									
3-		प्र0																									
		वा0																									
4-		प्र0																									
		वा0																									
5-		प्र0																									
		वा0																									
6-		प्र0																									
		वा0																									

(प्र0– प्रस्तावित, वा0– वास्तविक**)**